प्रतिलिपि ...जवत,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर

पीठासीन अधिकारी अंजली राजोरिया आई.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या– 72/2017

श्रीमति गन्ना देवी **बनाम** **कुशाल सिह व अन्य**

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश दिनांक 26.9.2018

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील उपस्थित। आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के वकील ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने पूर्व स्वर्गीय लाला की संयुक्त कृषि आराजी खातेदारी काश्तकारी विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी का अनुसूची ए में 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 से 3 का 3/4 हिस्सा निहित है। अनुसूची ब में 1/2 का 1/4 हिस्सा है जो ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है। अनुसूची अ में खाता संख्या नया 23 व पुराना 17 जिसमें खसरा नम्बर 1813 रकबा 0.3000, खसरा नम्बर 1848 रकबा 0.0700, खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.0800 खसरा नम्बर 1852 रकबा 0.0400 खसरा नम्बर 1853 रकबा 0.0500 खसरा नम्बर 1874/2866 रकबा 0.0200 खसरा नम्बर 1875 रकबा 0.100, खसरा नम्बर 1876 रकबा 0.0800 खसरा नम्बर 1880 रकबा 0.0600 खसरा नम्बर 1940 रकबा 0.1100 खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.1900 खसरा नम्बर 2069 रकबा 0.1500 खसरा नम्बर 2073 रकबा 0.1400 खसरा नम्बर 2178 रकबा 0.2000 खसरा नम्बर 2179 रकबा 0.1400 कुल किता 14 है। अनुसूची बी में खाता संख्या नया 572 पुराना 572 में खसरा नम्बर 1052 रकबा 0.100 खसरा नम्बर 1942 रकबा 0.0800 अनुसूची सी में खाता सख्या नया 289 पुराना 258 के खसरा नम्बर 931 रकबा 0.0300 खसरा नम्बर 932 रकबा 0.700 खसरा नम्बर 932/2874 रकबा 0.0500 अनुसूची डी में खाता सख्या नया 571 पुराना 308 में खसरा संख्या 1876/2945 रकबा 0.0200 खसरा नम्बर 1877/2946 0.0200 है। अनुसूची ई में खाता संख्या नया 523 पुराना 524 के खसरा नम्बर 1133 रकबा 0.0700 खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.0300 खसरा नम्बर 2060/2971 रकबा 0.0100 खसरा नम्बर 2070/2662 रकबा 0.0500 अनुसूची एफ में खाता संख्या 573 नया पुराना 312 में खसरा नम्बर 939 रकबा 0.0600 खसरा नम्बर 940 रकबा 0.0700 खसरानम्बर 941 रकबा 0.0300 खसरा नम्बर 942 रकबा 0.0500 खसरा नम्बर 943 रकबा 0.0600 खसरा नम्बर 944 रकबा 0.0200 खसरा नम्बर 945 रकबा 0.0200 खसरा नम्बर 947 रकबा 0.100 खसरा नम्बर 948 रकबा 0.0300 खाता संख्या नया 752 में खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.1900 है। उक्त आराजी आज भी संयुक्त खातेदारी काश्तकारी

Scanned with CamScanner

आराजी है व उक्त आराजी का विधिवत रूप से बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन नही हुआ है। प्रार्थीया के पिता उगमा की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 4 एक मात्र उगमा का पुत्र था जो अपने चाचा पेमा के दत्तक हुआ। जिसके पुत्री सरोज, पुत्र कुशाल, माया देवी, सीमा देवी व प्रीतम सिंह हुए जिसमें से कुशाल को उगमा जो लक्ष्मण के पिता के गोद दिया था। इसलिए प्रार्थीया का उगमा की जायन्दा पुत्री होने के कारण 1/4 हिस्सा विधिक रूप से प्राप्त करने व बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विधिवत विभाजन करवा कर अपना अलग से हिस्सा प्राप्त करने व राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार नाम अंकित करवाने व अप्रार्थी संख्या 5 को अपने आप को उगमा की पुत्री बता कर अपने भाई अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में फर्जी तरीके से दिनांक 23.9.2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 358 में पृष्ठ संख्या 49 कम संख्या 2013007380 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1429 के पृष्ठ संख्या 459 से 465 पर चस्पा किया गया जिसका फौजदारी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त फर्जी हक त्याग से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गलत रूप से खुलवाये गये नामान्तकरण को अवैध एवं शून्य घोषित करवाने के अधिकारी है। दिनांक 12.2.2017 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को धमकी दी कि उनके नाम कोई आराजी नही है इसलिए बंटवारा नही होगा व न ही आरामी में हिस्सा दिया जावेगा। प्रार्थिया के हक व अधिकार की कृषि आराजी को हडप करने की नियत से उनके पिता उगमा की मृत्यु के उपरान्त राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर फर्जी दस्तावेज सजरा से अप्रार्थीया संख्या 5 को उगमा की पुत्री बता कर प्रार्थीया के स्थान पर रजिस्टर्ड हक त्याग करवा कर सम्पूर्ण आराजी अपने नाम करवा ली जिसे अविधिक रूप से नामान्तकरण को निरस्त करवाने की प्रार्थीया अधिकारिनी है। प्रार्थिया के पिता उगमा के अप्रार्थी सख्या 1 दत्तक पुत्र है। अप्रार्थीया संख्या 2 पत्नी व अप्रार्थीया संख्या 3 पुत्री है व अप्रार्थी संख्या 5 उगमा के भाई पेमा जो कि अप्रार्थी संख्या 4 की पुत्री है। इस प्रकार प्रार्थीया का हिस्सा हडप करने की नियत से अप्रार्थीगण धोखाधडी का प्रार्थीया का हिस्सा हडपने की नियत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर उगमा के हिस्से में से 1/4 राजस्व कर्मचारियो को धोखे में रखकर व गुमराह कर अपने नाम नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 5 को वारिस बता कर खुलवा लिया और उससे हक त्याग करवा कर सम्पूर्ण आराजी का नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खुलवा लिया जबकि प्रार्थीया विधिक पुत्री व वारिस है व अपने हिस्से की आराजी का नामान्तरण अपने नाम खुलवाने की विधिक अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने अपने नाम गलत रूप से नामान्तरण खुलवा कर उक्त आराजी का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विधिवत विभाजन हुए बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हक त्याग कर दिया जिसका करने का अधिकार अप्रार्थी संख्या 5 को नही था व ऐसा हस्तान्तरण विधिविरूद्व प्रथम दृष्टया ही है को प्रार्थीया अवैध व शून्य घोषित करवाने की अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के हक में है यदि

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेंघाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो अवधिक रूप से विभाजन हुए बिना ही उक्त आराजी का बेचान कर प्रार्थीया को उनके हक व अधिकार से वंचित कर देगे जिसमें प्रार्थीया को अपारक क्षति कारित होगी जिसका कि मूल्यांकन मुद्रा में नही आंका जा सकेगा। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि आराजी में से प्रार्थीया का अनुसूची ए में 1/4 हिस्सा, अनुसूची बी में 1/2 का 1/4 हिस्सा व अनुसूची सी,डी,ई,एफ का जो नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 न फर्जी व कूटरचित दस्तावेज हक त्याग से अपने नाम खुलवाया है जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। उसे अवैध व शून्य घोषित किया जाकर प्रार्थीया के हिस्से बाबत निरस्त किया जावे व अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा प्रार्थीया के स्थान पर उगमा की पुत्री बनकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो हक त्याग किया गया जो प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होकर अवैध व शून्य व निरस्त घोषित किया जावे साथ ही कृषि आराजी का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर प्रार्थीया को उसके पिता स्व0 उगमा पुत्र लाला से विरासत में मिला आराजी का हिस्सा अनुसूची ए में 1/4 हिस्सा अनसूची बी में 1/2 हिस्से का 1/4 हिस्सा अलग से दिलाया जाकर राजस्व रिकॉड में उनके नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे तथा अस्थायी निषेंघाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित अनुसूची ए व बी कृषि आराजी का जब तक विधिवत रूप से बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण स्वयं, उनके परिजन, रिश्तेदारान, मुख्त्यारआम, खास व एजेन्ट असाईनीज आदि उक्त आराजी का बेचान व हस्तान्तरण किसी भी प्रकार नही करे व न ही कोई नवनिर्मित प्लाटिग करे व न ही कोई दस्तावेज इस हेतु किसी अन्य के हक में निष्पादित व पंजीकृत करवाये अस्थायी निषेघाज्ञा जारी कर अप्रार्थी संख्या 6 को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी का बेनामा या अन्य दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 1 से 5 स्वयं या उनके मुख्त्यारआम या अधिकृत व्यक्ति पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो पंजीयन न कर बिना पंजीयन वापिस लौटा देवे व अप्रार्थी 7 को पाबन्द करे कि वे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे व प्रतिवादी 8 को पाबन्द करे कि खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.19 की मुआवजा राशि प्रतिवादी 1 को नही देवे।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 ने जवाब प्रर्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा मृतक श्री लाला का अपूर्ण सजरा अंकित किया है एवं लाला के सम्पूर्ण वारिसान/सहदायिको को प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुर्तिब नही किया गया है जिससे उक्त वाद अपूर्ण होकर प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नही होने से काबिल निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित सारणी ए,बी,सी,डी,ई, एफ में अंकित आराजीयात ग्राम किराणीपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित होना स्वीकार है एवं सारणी एफ के नीचे अंकित खाता

Scanned with CamScanner

ख्या नये 752 खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.19 हैक्टर वैस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर में अवाप्त होना भी स्वीकार है लेकिन उक्त सारणियों में अंकित आराजीयात तथा अनुसूची अ में प्रार्थिया का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी सख्या 2 `स 3 का 3/4 हिस्सा निहित होना अस्वीकार है । इसी प्रकार अनुसूची ब में प्रार्थीया का 1/2 हिस्से का 1/4 हिस्सा निहित होना भी गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान को अपने पूर्वज श्री लाला से विरासत में प्राप्त हुई है जिससे जवाब दावे के पैरा संख्या 1 में वर्णित समस्त वारिसान का वादग्रस्त आराजीयात में हिस्सा निहित है। उक्त सजरे अनुसार उगमा पुत्र श्री लाला का कुल आराजीयात में श्रीमती घीसी पत्नि श्री लाला फौत होने के बाद 1/6 हिस्सा निहित था एवं प्रार्थीया के कथनानुसार श्री उगमा के चार वारिसान होने से प्रार्थीया का मात्र 1/24 हिस्सा ही सारणी अ में अंकित आराजीयात में बनता है। इसी प्रकार सारणी ब में भी 1/48 हिस्सा बनता है जिससे प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में प्रार्थीया द्वारा अपना हिस्सा कतई गलत अंकित किया गया है जिसकी वह कतई अधिकारिणी नहीं है इसी प्रकार पैरा संख्या 3 की पंक्ति संख्या 4 में अनुसूची अ में अंकित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 2 से 3 का 3/4 हिस्सा निहित होना अंकित किया है जबकि उक्त आराजीयात में कुशाल दत्तक पुत्र उगमा अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 का भी हिस्सा निहित है, जिसे अंकित नही किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीया का कोई लेना देना नही है ना ही प्रार्थीया कभी काबिज काश्त रही है, ना ही प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि जो पैरा संख्या 3 में अंकित की गयी है में 1/4 हिस्सा ही बनता है जहां तक पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 23.9.2013 बाबत कथन अंकित किये है उक्त पंजीकृत दस्तावेज को प्रार्थीया द्वारा आज दिनांक चुनौति प्रदान नही की गयी है न ही उक्त दस्तावेज की पालना में तस्दीक नामातकरण को ही चुनौति प्रदान की गयी है जिसके अभाव में प्रार्थीया को वाद प्रस्तुती का कोई लोकस नहीं है क्योकि हक त्याग दस्तावेज निरस्त करने का क्षेत्राधिकार विद्वान सिविल न्यायालय में निहित है जिससे उक्त हक त्याग बाबत किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने का अथवा हक त्याग में अंकित आराजीयात पर प्रार्थीया को उदघोषणा खातेदारी प्रदान करने का क्षेत्राधिकार विद्वान राजस्व न्यायालय में निहित नही है। उक्त हक त्याग पत्र राजस्व ऐजेन्सी द्वारा अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि पर आधारित है। उक्त प्रविष्टि को भी प्रार्थीया द्वारा कभी चुनौति प्रदान नही की गयी है जिससे प्रार्थीया का वाद प्रस्तुती का अधिकार वेव हो चुका है। फौजदारी प्रकरण बाबत कार्यवाही विचाराधीन होना अंकित किया गया है जिसका राजस्व प्रकरण पर निरस्तीकरण के अभाव में कोई कानूनी प्रभाव नही है एवं पंजीकृत दस्तावेज की पालना में तस्दीक नामांतरकरण अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रविष्टी के अनुसार वैधानिक रूप से तस्दीक किया गया है जिसे प्रार्थीया द्वारा कभी चुनौति प्रदान नही की गयी है। प्रार्थना पत्र के दिनांक 12.2.2017 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को बंटवारे से इन्कार करने बाबत कथन

Scanned with CamScanner

स्वीकार है क्योंकि दिनांक 12.2.2017 को अप्रार्थीगण से प्रार्थीया की मुलाकात नही हुई ना ही प्रार्थीया ग्राम किराणीपुरा में आई वरन ग्राम लाडपुरा में निवास कर रही थी जिससे उक्त कथन असत्य होकर अस्वीकार है एवं पंजीकृत हक त्याग पत्र अप्रार्थीया संख्या 5 द्वारा राजस्व ऐजेन्सी द्वारा अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि के अनुसरण में रूबरू गवाहान विद्वान उप पजियक के समक्ष विधि अनुरूप निष्पाद्वित किया गया है जिसके आधार पर न्यायोचित रूप से नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.19 हैक्टर अवाप्त हो चुकी है जिसकी मुआवजा राशि अप्रार्थीगण को प्रदान नही करने हेतु कथन किया गया है लेकिन रेल मंत्रालय को प्रार्थीया द्वारा वाद प्रस्तुती से पूर्व अति आवश्यक नोटिस प्रदान नही किया गया तथा अवाप्तशुद्वा आराजीयात बाबत वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी माननीय न्यायालय में निहित नही है एवं मुआवजा राशि बाबत किसी भी प्रकार से निहित होने से राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नही होने से काबिल निरस्त योग्य है। राजस्व ऐजेन्सी द्वारा पूर्ण रूप से जांच करने के बाद श्री उगमा की विरासत तस्दीक की गयी है जिसे प्रार्थीया द्वारा आज दिनांक चुनौति प्रदाननही की गयी है ना ही हक त्याग पत्र को निरस्त करवाया गया है इतना ही नही अप्रार्थी संख्या 5 को श्री उगमा के भाई श्री पेमा की पुत्री होना अंकित किया गया है जो कतई गलत है क्योंकि श्री पेमा नाऔलाद होने के कारण श्रीमति धन्नी पत्नि श्री प्रेमसिह उर्फ प्रेमा द्वारा रूबरू गवाहान दिनांक 6.1.1998 को लक्ष्मण सिह पुत्र श्री उगमा को गोद ग्रहण किया गया था जो स्वयं प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया जाकर लक्ष्मण सिह दत्तक पुत्र श्री पेमा को अप्रार्थी संख्या 4 के रूप में पक्षकार मुर्तिब किया गया है एवं श्री उगमा पुत्र श्री लाला एवं श्रीमती भोली उर्फ गंगादेवी पत्नि श्री उगमा रावत द्वारा जरिये पंजीकृत गोदनामा दिनांक 17.5.2012 को रूबरू गवाहान कुशाल पुत्र श्री लक्ष्मण को गोद ग्रहण किया गया है जिस बाबत पूर्ण जानकारी होने के बावजूद मनगढन्त कथन अंकित किये गये है एवं पुनः विवादित भूमि में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा निहित होना गलत रूप से अंकित किया गया है । अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त अप्रार्थीगण के हक में स्वयं सिद्व है जिनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा कतई जारी नही की जा सकती अतः प्रार्थीयाँ का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही होने से निरस्त फरमाया जावे । दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (20) 2013 पेज 95 प्रस्तुत किये गये।

अप्रार्थी संख्या 8 के अधिवक्ता ने जवाब न देकर सीधे ही बहस कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.19 हैक्टर में से 0.0185 रेल मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अवाप्त की जा चुकी है व शेष आराजियात

Scanned with CamScanner

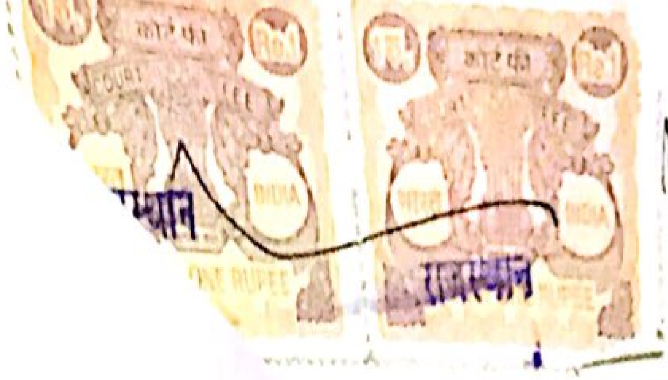

अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अतः प्रार्थीयॉं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ... अजमेर
...रमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर ...लब्ध रेकार्ड दस्तावेज का सादर अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत नजीर का सादर अवलोकन किया। पंजीबद्व दस्तावेज के निरस्तीकरण का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय में है। इस बावत प्रार्थिया द्वारा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। तथा कुछ भूमि रेल मत्रालय भारत सरकार द्वारा अवाप्त की जा चुकी है। जिसमें सबंधित वाद एवं प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में निहित नही है। प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है जिससे प्रार्थना पत्र अपूर्ण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया की स्वत्व निहित होना प्रार्थिया सिद्व करने पाने में असमर्थ रही है। उक्त तथ्य मूल वाद की विषय वस्तु में निर्धारित किये जायेगे । वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगण विवादित भूमि खातेदार काश्तकार दर्ज है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होता है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखी जाती है तो वादीयागण/प्रार्थीगण के बजाय प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को असुविधा होगी, व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति भी वादियॉगण/प्राथियागण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण खातेदार के पक्ष में हैं उपरोक्त बिन्दुओ में से एक भी बिन्दु वादीयागण/प्रार्थियागण के पक्ष में साबित नही होने पर भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है। हम माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपाद्दित सिद्वान्त अनुसार खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेघाज्ञा जारी नही की जा सकती है। परिणामतः उपरोक्त विवेचन विशलेषण वादीयागण/प्रार्थियागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 26.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अंजली राजोरिया
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

त,
रा,
ग

Scanned with CamScanner